



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1170]
No. 1170]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जून 21, 2012/ज्येष्ठ 31, 1934
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 21, 2012/JYAISTHA 31, 1934

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2012

का.आ. 1399(अ).—फैक्टरिंग विनियामक अधिनियम, 2011 (2012 का 12) की धारा 1 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, फरवरी, 2012 के प्रथम दिन को उस दिन के रूप में नियत करती है, जब उक्त अधिनियम की धारा 19, 20, 21 और 32 के अलावा अन्य उपबंध लागू होंगे।

[फा. सं. 6/3/2010-बीओ-II]

आलोक निगम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2012

S.O. 1399(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Factoring Regulation Act, 2011 (12 of 2012), the Central Government hereby appoints the 1st day of February, 2012, as the date on which the provisions of the said Act, except Sections 19, 20, 21 and 32 shall come into force.

[F.No. 6/3/2010-BO-II]

ALOK NIGAM, Jt. Secy.